FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत––जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

कल्याण आदि बनाम काली आदि

किस्म मुकदमा–नामान्तरण अपील

नम्बर 15––सन्– 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.11.25	अधिवक्ता अपीलांट्स उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 से 2 व 4 से 7 उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। दिनांक 10.11.2025 को उपस्थित अधिवक्तागण की दफा 5 कानून मियाद पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक प्रार्थना पत्रदफा 5 कानून मियाद पटवारी हल्का द्वारा ग्राम ग्राम चक हरपट्टी तत्कालीन तहसील दौसा वर्तमान तहसील लवाण स्थित आराजी पूर्व खसरा नंबर 14/39 रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा जिसके बाद भू प्रबंध वर्तमान खसरा नंबर 69 से 72 कुल रकबा 1.60है. वाके ग्राम चक हरपट्टी का नामान्तरण सं0 10 गोपाल पुत्र धन्ना मीना के नाम आवंटन आदेश बताकर दिनांक 18.8.1969 को भरा गया जिस पर गिरदावर हल्का ने दिनांक 21.8.1969 को तुलना की गई एवं तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 25.4.1972 को तस्दीक किया गया। प्रश्नगत नामान्तरण पटवारी हल्का द्वारा बिना आवंटन आदेश के भरा गया। प्रार्थीगण ने जिला अभिलेखागार दौसा में तथाकथित आवंटन आदेश की नकल प्राप्त करने के लिए दिनांक 19.3.2025 को आवेदन प्रस्तुत किया।प्रभारी जिला अभिलेखागार दिनांक 21.3.2025 को कार्यालय अभिलेख का अवलोकन कर सन 1958 से 1967 तक गोपाल पुत्र धन्ना के नाम कोई आवंटन आदेश की पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना अंकित कर अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र चाहने नकल आवंटन आदेश निरस्त फरमा दिया। अतः गोपाल पुत्र धन्ना के नाम कोई आवंटन आदेश होना प्रमाणित नहीं है। प्रश्नगत नामान्तरण आदेश गोपाल पुत्र धन्ना के नाम खसरा नंबर 14/39 रकबा 6 बीघा 10 बीघा का अस्थाई खातेदारी का कोई प्रावधान राज0 भू राजस्व अधिनियम में प्रवाहित नहीं है। प्रत्यर्थीगण के पूर्वज गोपाल पुत्र धन्ना के पक्ष में बिना आवंटन अस्थाई नामान्तरण तस्दीक कर तहसीलदार दौसा द्वारा विधिक त्रुटि कारित की गई है। गोपाल पुत्र धन्ना अर्सा करीब 15 वर्ष से फरार है। प्रत्यर्थीगण ने उसे मृत बताकर नामान्तरण दिनांक 12.7.2024 को गोपाल को मृतक बताकर करवा लिया। आराजी अंकित अपीलांट एवं प्रत्यर्थीगण के पूर्वज गोपाल पुत्र धन्ना कीसंयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका नामान्तरण स्व0 गोपाल पुत्र धन्ना के पक्ष में अवैध एवं अनियमित रूप से किया गया है। प्रश्नगत नामान्तरण आदेश आधारहीन, तथ्यात्मक रूप से असत्य, अवैध एवं अनियमित आदेश है। अतः नामान्तरण आदेश को चुनौती देने में समय सीमा बाधक नहीं है। फिर भी विवाद से बचने के लिए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परि0 अधि0 प्रस्तुत है। नामान्तरण आदेश की नकल प्राप्त करने एवं राजस्व अपील की नकल प्राप्त करने के बाद यह अपील योम जानकारी से समय सीमा में प्रस्तुत है। विलंब को क्षम्य फरमाया जाना न्यायार्थ आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 56 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2008(1)पेज 151, आरबीजे (4)1997 पेज 167, आरआरटी 2022(1)पेज 467, 2012(1)आरआरटी पेज 182 की प्रतियां प्रस्तुत की गई। अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 से 2 व 4 से 7 ने स्थगन प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि अपीलांट्स ने अपील अत्यधिक देरी मियाद ... पेश की गई है व देरी का कारण भी नहीं दर्शाया गया है। प्रार्थीगण का विवादित भूमि से क्या संबंध है उसे प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है। अपील ... इनवॉल्व नहीं है। अपीलांट का विवादित भूमि से ... रहा। अपीलांट्स का कब्जा किस प्रकार से रहा है इसका कोई स्पष्ट उल्लेख प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है और न ही अपील में ऐसा कोई विवरण दिया गया है। अपीलांट्स ने केवल राजनैतिक अदावट की भावना से रेस्पों0 को येन केन प्रकारेण परेशान करने के लिए अपील प्रस्तुत की गई है। रेस्पों0 व उनके पूर्वज 53 वर्ष से भी अधिक समय से भूमि पर काबिज होकर काश्त कर लाभांवित होते चले आ रहे है। अपीलांट्स का एकमात्र	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:22:14 IST
Reason: Self Attested

जिला कलेक्टर,दौसा

उद्देश्य रेस्पों0 को उनके कानूनी अधिकार से महरूम करने का है एवं इसी बदनीयति से उक्त अपील पेश की गई है। उपरोक्त अपील लगभग 53 वर्ष पश्चात असाधारण देरी से प्रस्तुत की गई हैं। रेस्पों. एवं उनके पूर्वजो का कब्जा व खातेदारी लगभग 53 वर्षो से लगातार चली आ रही है जिसकी जानकारी अपीलांट्स को प्रारंभ से ही रही है। क्योंकि राजस्व रिकार्ड लगातार नियमित रूप से राजस्व अधिकारियों द्वारा मेन्टेन किया जाता है। अपीलांट्स उसी गांव के है जहॉ भूमि स्थित है इसलिए यह संभव नहीं है कि रेस्पों. के नाम खातेदारी के नामान्तरण की जानकारी अपीलांट्स व उसके पूर्वजों को न हो। एवं बनावटी है इसलिए स्वीकार नही है । नामान्तरकरण विधिक प्रक्रिया से खोला गया है। नामान्तरकरण को चुनौती देने के लिए 30 दिवस की मियाद होती है। जबकि दिनांक 25–04–1972 के नामान्तरकरण को 53 वर्ष पश्चात चुनौती ८६६५ दी गई है। देरी का कोई पर्याप्त कारण प्रार्थना पत्र मे अंकित नही किया है। जब तक प्रार्थना पत्र मे पर्याप्त व उचित कारण नही दर्शाये जाते है तब तक जेर दफा 5 मियाद अधिनियम का कोई भी लाभ अपीलांट को प्रदत्त नही किया जा सकता। प्रार्थना पत्र मे दिनांक 25–04–1972 के आदेश की जानकारी किस तिथी को हुई, अंकित नही किया गया है। प्रार्थना पत्र बेबुनियाद आधारो पर प्रस्तुत किया गया है व नकल कब प्राप्त हुई यह भी अंकित नही किया गया है। प्रार्थना पत्र मे जेर दफा 5 मे वर्णित तथ्यो का समावेश नही किया गया है इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। उपरोक्त अपील लगभग 53 वर्ष पश्चात असाधारण देरी से प्रस्तुत की गयी है। रेस्पोडेन्ट एवं उनके पूर्वजो का कब्जा व खातेदारी भी लगभग 53 वर्ष से लगातार चली आ रही है जिसकी जानकारी अपीलांट को प्रारम्भ से ही है। क्योकि राजस्व रिकॉर्ड लगातार नियमित रूप से राजस्व अधिकारीयो द्वारा मेन्टेन किया जाता है। अपीलांट्स उसी गांव के है जहां भूमि स्थित है। इसलिए यह संभव नही है कि रेस्पो० के नाम खातेदारी के नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट्स व उनके पूर्वजो को न हो। अपीलांट्स ने बिल्कुल झूठे व बेबुनियाद आधार पर अपील जेर दफा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अपीलांट्स द्वारा 53 वर्ष की असाधारण देरी का कोई पर्याप्त कारण न देना अपीलांट्स की बदनियती दर्शाता है इसलिए भी प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। किसी आदेश की अपील के लिए कोई समय अवधि न भी दी गई हो तो साधारण मामलो मे भी अपील व प्रार्थना पत्र 3 वर्ष के अन्दर अन्दर पेश करना होता है। प्रस्तुत मामले मे 53 वर्ष की देरी है वैसे भी नामान्तरकरण की अपील की मियाद 30 दिन की होती है। अपीलांट्स ने जेर दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र बिल्कुल झूठे व बेबुनियाद आधारो पर पेश किया है इसलिए व प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील मय हर्जे खर्चे खारिज फरमायी जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 व 5 ने अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त एआईआर 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज 1021, 2016(3)सीजे (सिविल)(राज.)पेज 1835, 2016(1)सीजे(सिविल) राज. पेज 58, 2016(4) डीएनजे राज. 1729, 2025(2)डीएनजे (एस.सी.) पेज 780, 2025(2)सीजे (सिविल) (राज.) पेज 619, 2024(2)डीएनजे एससी पेज 414, 2023(3)सीजे (सिविल)राज. पेज 1419, 2023(3) सीजे (सिविल) राज. 1419 2010(1)डीएनजे राज. पेज 400, 2009(1)डीएनजे राज. 215, 2009(2)डीएनजे राज. पेज 799, 2016(एस.सी.) पेज 780,सीजे2010 डीएनजे (1) राज. 400, 2009 डीएनजे (1) राज. 215, 2009 डीएनजे (2) राज. 799, 2016(2) सीजे(सिविल) राज. 1150, 2009(1) सी.डीआर. राज. 377, [illegible] की प्रतियां प्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:22:14 IST
Reason: SelfAttested

राजकीय अधिवक्ता ने बहस [illegible] की ओर से अपील अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत [illegible] को विलंब से प्रस्तुत किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी अंकित नहीं [illegible] गया है। अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।

हमने दफा 5 कानून मियाद पर उपस्थित अधिवक्तागण की सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अपीलांट्स के द्वारा ग्राम चक हरपट्टी के नामान्तरण सं0 10 जो कि तहसीलदार दौसा के द्वारा दिनांक 25.4.1972 को तस्दीक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

किया गया है, को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। अपीलांट के द्वारा प्रश्नगत नामान्तरण जो कि वर्ष 1972 में खोला गया है को 53 वर्ष के असाधारण विलंब से चुनौती दी गई है। इस असाधारण विलंब से नामान्तरण को चुनौती दिये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी अंकित नहीं किया गया है। हम प्रस्तुत अपील को दफा 5 कानून मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आदेशिका की प्रति के साथ लौटाया जावे। खुले न्यायालय सुनाया गया।

Devendra
जिला कलक्टर
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.12.17 12:22:14 IST
Reason: SelfAttested